



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-28052022-236069
CG-DL-W-28052022-236069

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 19]	नई दिल्ली, मई 22— मई 28, 2022, शनिवार/ ज्येष्ठ 1—ज्येष्ठ 7, 1944
No. 19]	NEW DELHI, MAY 22—MAY 28, 2022, SATURDAY/ JYAISTHA 1— JYAISTHA 7, 1944

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय

(भारत मौसम विज्ञान विभाग)

नई दिल्ली, 28 अप्रैल, 2022

सा.का.नि. 77.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (भारत मौसम विज्ञान विभाग) में स्टाफ कार ड्राइवर भर्ती नियम 2006 को अधिकांश करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या किए जाने का लोप किया गया है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत मौसम विज्ञान विभाग में स्टाफ कार ड्राइवर के पद की भर्ती की पद्धति का विनियमन करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ तारीख:- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, (भारत मौसम विज्ञान विभाग) स्टॉफ कार ड्राइवर भर्ती नियम 2020 कहा जाएगा।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर: पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे संबंधित वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर संलग्न अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयुसीमा और अर्हताएँ:- उक्त पदों से संबंधित भर्ती की पद्धति, आयु- सीमा, अर्हताएँ और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता:- वह व्यक्ति-

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है,; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह की है या विवाह की संविदा की है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति:- जहाँ केंद्र सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति:- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट तथा अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिसका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमैट्रिक्स में वेतनस्तर	चयन पद है अथवा अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
स्टॉफकार ड्राइवर (साधारण श्रेणी)	*16 (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केंद्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित, गैर-अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 2- (रु.19,900/- 63,200/-)	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य योग्यताएँ	क्या सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएँ प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी	परिवीक्षा अवधि यदि कोई हो
(6)	(7)	(8)	(9)
25 से 18 वर्ष के बीच (केंद्रीय सरकार के)	आवश्यक:-	लागू नहीं होता	सीधी भर्ती या पुनः नियुक्त व्यक्तियों के लिए 02

अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवाओं के लिए आयु सीमा में चालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण: आयु सीमा की अंतिम तारीख का निर्धारण भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि से किया जाएगा (और असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर राज्य केलहाख मंडल, लाहौल और स्पीति जिला और हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले का पांगी उप मंडल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में उनके लिए निर्धारित अंतिम तिथि नहीं होगी) * यदि सीधे खुली प्रतियोगी परीक्षा द्वारा 'सीधे भर्ती' की जानी है, तो आयु सीमा 18-27 वर्ष होगी।	(i) मोटर कार/ भारी वाहन चलाने का वैध ड्राइविंग लाइसेंस धारक हो; (ii) मोटर कार की कार्यप्रणाली का ज्ञान हो (अभ्यर्थी वाहन में होने वाले छोटे- मोटे दोषों को दूर करने में सक्षम हो) ; (iii) मोटर कार चलाने का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव; और (iv) 10 वीं कक्षा उत्तीर्ण वांछनीय: (i) होम गार्ड या सिविल वालंटियर्स के रूप में तीन वर्ष की सेवा। टिप्पण-अनुभव से संबंधित अर्हता को लेखबद्ध किए गए कारणों के अनुसार शिथिल किया जा सकेगा; और यदि सक्षम प्राधिकारी को चयन के किसी भी स्तर पर लगता है कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के मामले में, अपेक्षित अनुभव वाले अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या उनके लिए आरक्षित रिक्ति को भरने के लिए उपलब्ध नहीं है तो लेखबद्ध कारणों के अनुसार अनुभव से संबंधित अर्हता सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर शिथिल की जा सकती है;		(दो वर्ष)
--	---	--	-----------

भर्ती की पद्धति: सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेदन द्वारा एवं विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेदन द्वारा भर्ती की दशा में वेतन मैट्रिक्स में स्तर जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेदन किया जाएगा
(10)	(11)
प्रतिनियुक्ति या समावेशन; ऐसा नहीं होने पर सीधे भर्ती द्वारा। सशस्त्र बलों के कर्मियों के लिए: प्रतिनियुक्ति या पुनः नियुक्ति।	प्रतिनियुक्ति या समावेशन: भारत मौसम विभाग में वेतन मैट्रिक्स रु.18,000-56,900 में नियमित रूप से मोटर साइकिल ड्राइवर (समूह - ग) और समूह 'ग' के कर्मचारियों में से जो भी मोटर

	कार चलाने के लिए ड्राइविंग टेस्ट के आधार पर वैध ड्राइविंग लाइसेंस रखते हों। ऐसा न होने पर केंद्र सरकार के अन्य मंत्रालयों में वेतन मैट्रिक्स रु.18,000-56,900 में नियमित आधार पर मोटर साइकिल ड्राइवर के पद पर या स्तर 1 में नियमित समूह 'ग' के कर्मचारी जो स्तंभ(7) में उल्लिखित आवश्यक अर्हता को पूरा करते हैं। सशस्त्र बलों के कर्मियों के लिए प्रतिनियुक्ति या पुनःनियुक्ति: सेवानिवृत्त होने वाले सशस्त्र बल कार्मिक या जिन्हें एक वर्ष की अवधि के भीतर आरक्षित करने के लिए स्थानांतरित किया जाना है तथा अपेक्षित अनुभव और अर्हता रखते हैं, उनके मामले पर भी विचार किया जाएगा। ऐसे कर्मियों पर उनके सशस्त्र बलों से कार्यमुक्त होने वाली तिथि तक प्रतिनियुक्ति की शर्तें लागू रहेंगी, इसके बाद उन्हें पुनःसेवा में रखा जा सकता है। टिप्पण- केंद्रीय सरकार के किसी अन्य संगठन/विभाग में अन्य बाह्य कैडर के समान पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित इस विभाग में प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति की अवधि सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति या समावेशन द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि तक छप्पनवर्ष से अधिक नहीं होगी।
--	--

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है
(12)	(13)
प्रोन्नति पर विचार करने के लिए समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति: - वैज्ञानिक 'ई', भारत मौसम विज्ञान विभाग - अध्यक्ष - वैज्ञानिक 'सी' या वैज्ञानिक 'डी' या वैज्ञानिक 'सी' के समकक्ष समूह 'क' अधिकारी - सदस्य; और - विभाग (भारत मौसम विज्ञान विभाग) से एक समूह 'ख' राजपत्रित अधिकारी - सदस्य	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.स्टॉफकार ड्राइवर (श्रेणी - II)	17* *(2020)	साधारण केंद्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित, गैर- अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (रु. 25,500-	अचयन

	*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है		81,100)	
--	---	--	---------	--

(6)	(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(10)	(11)
प्रोन्नति	प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स रु. 19,900-63,200 में स्तर 2 में स्टाफ कार ड्राइवर (साधारण श्रेणी) में आठ (8) वर्षों कीनियमित सेवा के साथ और सरकार द्वारा निर्दिष्ट ट्रेड टेस्ट उत्तीर्ण किया हो। टिप्पण:- जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

(12)	(13)
प्रोन्नति पर विचार करने के लिए समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति: - वैज्ञानिक 'ई', भारत मौसम विज्ञान विभाग - अध्यक्ष - वैज्ञानिक 'सी' या वैज्ञानिक 'डी' या वैज्ञानिक 'सी' के समकक्ष समूह 'क' अधिकारी - सदस्य; और - एक विभागीय समूह 'ख' राजपत्रित अधिकारी (भारत मौसम विज्ञान विभाग) - सदस्य	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.स्टॉफ कार ड्राइवर (श्रेणी - II)	*19 (2020)* *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केंद्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित, गैर- अनुसूचित	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5 (रु. 29,200- 92,300)	अचयन

(6)	(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता।

(10)	(11)
प्रोन्नति द्वारा	प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स रु. 25,500-81,100में स्तर 4 में स्टाफ कार ड्राइवर (साधारण श्रेणी) में पाँच (5) वर्षों कीनियमित सेवा या स्टाफ कार ड्राइवर (श्रेणी-II) तथा स्टाफ कार ड्राइवर (साधारण श्रेणी) में कुल तेरह (13) वर्ष की सेवा पूरी कर ली होऔर सरकार द्वारा निर्दिष्ट ट्रेड टेस्ट उत्तीर्ण किया हो। टिप्पण:-जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हकया पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

(12)	(13)
प्रोन्नतिपर विचार करने के लिएसमूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति: - वैज्ञानिक 'ई', भारत मौसम विज्ञान विभाग - अध्यक्ष - वैज्ञानिक 'सी' या वैज्ञानिक 'डी' या वैज्ञानिक 'सी' के समकक्ष समूह 'क' अधिकारी - सदस्य;और - एक विभागीय समूह'ख'राजपत्रित अधिकारी (भारत मौसम विज्ञान विभाग) - सदस्य	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.स्टॉफ कार ड्राइवर (विशिष्ट श्रेणी)	03* *(2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केंद्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित, गैर-अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 रु. 35,400-1,12,400	अचयन

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(10)	(11)
प्रोन्नति द्वारा	प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स रु. 29,200-92,300 में स्तर 5 में स्टाफ कार ड्राइवर श्रेणी- I में तीन (3) वर्षों की नियमित सेवा हो। नोट:- जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

(12)	(13)
प्रोन्नति पर विचार करने के लिए समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति: - वैज्ञानिक 'एफ', भारत मौसम विज्ञान विभाग - अध्यक्ष - वैज्ञानिक 'सी' या वैज्ञानिक 'डी' या वैज्ञानिक 'सी' के समकक्ष समूह 'क' अधिकारी - सदस्य; और - एक विभागीय समूह 'ख' राजपत्रित अधिकारी (भारत मौसम विज्ञान विभाग) - सदस्य	लागू नहीं होता।

स्थायीकरण के लिए समूह 'ख' विभागीय स्थायीकरण समिति:	
1. वैज्ञानिक 'एफ', भारत मौसम विज्ञान विभाग	- अध्यक्ष
2. वैज्ञानिक 'सी' या वैज्ञानिक 'डी' या वैज्ञानिक 'सी' के समकक्ष समूह 'क' अधिकारी	- सदस्य; और
3. समूह 'ख' का विभागीय एक राजपत्रित अधिकारी (भारत मौसम विज्ञान विभाग)	- सदस्य

[फा. सं. A-12035/2/09-E(3)(RR)(Driver)]

विजय कुमार सोनी, उपमहानिदेशक (प्रशासन)

MINISTRY OF EARTH SCIENCES**(India Meteorological Department)**

New Delhi, the 28th April, 2022

G.S.R. 77.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Ministry of Science and Technology (India Meteorological Department) Staff Car Drivers, Recruitment Rules, 2006, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Staff Car Drivers in the Ministry of Earth Sciences, India Meteorological Department, namely :-

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Ministry of Earth Science (India Meteorological Department) Staff Car Drivers, Recruitment Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in the pay matrix.- The number of said posts, its classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit and qualifications etc.- The method of recruitment, age- limit, qualifications and other matters relating thereto, shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. Disqualification.- No person, –

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any other person,

Shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such a marriage is permissible under the personal law applicable to such person and other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving. - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the order issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Staff Car Driver (Ordinary Grade).	16* (2022) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group C Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level 2 (Rs. 19,900-63,200).	Not applicable

Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.
(6)	(7)	(8)	(9)
Between 18-25 years* (Relaxable for Government servants up to Forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note .- The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Union territory of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep). * If the 'direct recruitment' is to be made by 'direct open competitive examination', the age limit would be 18-27 years.	Essential: (i) Possession of a valid driving license for motor cars or heavy vehicle; (ii) Knowledge of motor mechanism (The candidate should be able to remove minor-defects in the vehicle); (iii) Experience of driving a motor car for at least three years; and (iv) Class 10th pass from a recognised Board. Desirable : (i) Three year's service as Home Guard or Civil Volunteers. Note. - The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Central Government for reasons to be recorded in writing; in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Central Government is of the opinion that the sufficient number of candidates with requisite experience is not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.	Not applicable	Two years for direct recruits or re-employed.

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment or deputation or absorption, Level in the Pay Matrix from which promotion or deputation or absorption to be made.
(10)	(11)
Deputation or Absorption failing which by direct recruitment. For Armed Forces Personnel : Deputation or Re-employment.	Deputation or Absorption : From amongst the regular Motor Cycle Driver (Group C) and Group C employees in level- 1 in the pay matrix Rs. 18,000/- - 56,900/- in the India Meteorological Department who possess valid Driving License for Motor Cars on the basis of a Driving Test to assess the competence to drive Motor Cars failing which from officials holding the post of Motor Cycle Driver on regular basis or regular Group 'C' employees in level 1 in the pay matrix Rs. 18,000/- - 56,900/- in other Ministries of the Central Government who fulfil the necessary qualifications as mentioned in column (7).

	Deputation or re-employment for Armed Forces Personnel: The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered. Such persons would be given deputation terms up to the date on which they are due for release from the Armed Forces; thereafter they may be continued on re-employment. Note.- The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age - limit for appointment by deputation or absorption shall be 'Not exceeding fifty – six - year's as on the closing date of receipt of application.
--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. Staff Car Driver (Grade-II)	17* (2022) *Subject to variation dependent on work load	General Central Service Group C Non-Gazetted, Non-Ministerial	level 4 (Rs. 25,500 – 81,100)	Non-Selection

(6)	(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

(10)	(11)
Promotion	Promotion : Staff Car Driver (Ordinary Grade) in level 2 in pay matrix (Rs. 19,900/- 63,200/-) with eight year's of regular service in the grade and have passed the trade test, specified by the Government. Note .- Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

(12)	(13)
Group C Departmental Promotion Committee for considering promotion Consisting of : (1) Scientist E, India Meteorological Department. - Chairman (2) Scientist C or Scientist D or Group A officer equivalent to Scientist C - Member; and (3) One Group B Gazetted Officer from the department (IMD) - Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. Staff Car Driver (Grade-I)	19* (2022) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group C Non-Gazetted, Non-Ministerial	level 5 (Rs. 29,200/- 92,300/-).	Non-Selection

(6)	(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

(10)	(11)
By promotion	Promotion : Staff Car Driver (Grade-II) in level 4 in (Rs. 25,500/- – 81,100/-) in the pay matrix with five years of regular service in the grade or with a combined regular service of thirteen years in Staff Car Driver (Grade-II) and Staff Car Driver (Ordinary Grade); and have passed the trade test, specified by the Government. Note .- Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

(12)	(13)
Group C Departmental Promotion Committee for considering promotion Consisting of : (1) Scientist E, India Meteorological Department. - Chairman (2) Scientist C or Scientist D or Group A officer equivalent to Scientist C - Member; and (3) One Group B Gazetted Officer from the department (IMD) - Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4. Staff Car Driver (Special Grade)	03* (2022) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group B, Non-Gazetted, Non-Ministerial	level 6 in (Rs. 35,400/- – 1,12,400/-)	Non-Selection.

(6)	(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Two years

(10)	(11)
By promotion	Promotion : Staff Car Driver Grade-I in level 5 in (Rs. 35,400/- 1,12,400/-) in the pay matrix with three years regular service in the grade. Note .- Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they

	are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.
--	--

(12)	(13)
Group 'B' Departmental Promotion Committee for considering promotion Consisting of: (1) Scientist 'F' India Meteorological Department. - Chairman (2) Scientist C or Scientist D or Group 'A' officer equivalent to Scientist C - Member; and (3) One Group 'B' Gazetted Officer from the department (India Meteorological Department) - Member. Group 'B' Departmental Confirmation Committee for considering confirmation : (1) Scientist 'F' India Meteorological Department. - Chairman (2) Scientist C or Scientist D or Group 'A' officer equivalent to Scientist C - Member; and (3) One Group 'B' Gazetted Officer from the department (IMD) - Member.	Not necessary.

[F. No.A-12035/2/09-E(3)(RR) (Driver)]

V. K. SONI, Dy. Director General (Administration)

जल शक्ति मंत्रालय

(जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 20 मई, 2022

सा.का.नि. 78.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और जल संसाधन मंत्रालय, केन्द्रीय जल आयोग, कनिष्ठ इंजिनियर (सिविल और मैकेनिकल), समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2010 को, उन बातों के सिवाय, अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, केन्द्रीय जल आयोग में कनिष्ठ इंजिनियर (सिविल और मैकेनिकल) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और आरम्भ- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, केन्द्रीय जल आयोग, कनिष्ठ इंजिनियर (सिविल और मैकेनिकल), समूह 'ख' पद, भर्ती नियम, २०२२ होगा।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर - उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, इससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उक्त पद से संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता - वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति – जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक में स्तर
(1)	(2)	(3)	(4)
कनिष्ठ इंजीनियर सिविल) (और मैकेनिकल	522* (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ख', अननुसचिवीय, अराजपत्रित।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400-112400 रूपए)

चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(5)	(6)	(7)
लागू नहीं होता	तीस वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किये गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) टिप्पण : आयु सीमा अवधारित करने के लिए - निर्णायक तारिख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएगी	अर्हता: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्था से सिविल अथवा मैकेनिकल इंजीनियरी में बैचलर डिग्री अथवा डिप्लोमा। टिप्पण: अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किये जाएं, कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और	प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति /आमेलन
---	----------------------------------	---	---

लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं		विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।
(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता	सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष। टिप्पण: परीक्षा की अवधि को सफलातापूर्वक पूरा करने के लिए विहित कम से कम दो सप्ताह का प्रेरक प्रशिक्षण अनिवार्य होगा।	शत प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा। टिप्पण: पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों अधीन एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बहार रहने के कारण हुई रिक्तियों को केन्द्रीय सरकार के निम्नलिखित अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जा सकेगा - (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किये हुए है; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -5 (29200-92300 रु.) में छह वर्ष नियमित सेवा की है; और (ख) स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव हों।	लागू नहीं होता

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण के सम्बन्ध में विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:- 1. मुख्य इंजीनियर, केन्द्रीय जल आयोग - अध्यक्ष 2. निदेशक (स्थापना) या उप सचिव (स्थापना), जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग - सदस्य 3. सचिव, केन्द्रीय जल आयोग - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

4. निदेशक, केंद्रीय जल आयोग	- सदस्य	
-----------------------------	---------	--

[फा. सं. ए-12018/07/2017-स्था.1]

ए. के. दास, अवर सचिव

MINISTRY OF JAL SHAKTI**(Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation)**

New Delhi, the 20th May, 2022

G.S.R. 78.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Water Resources, Central Water Commission, Junior Engineer (Civil and Mechanical), Group 'B' Post, Recruitment Rules, 2010, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Junior Engineer (Civil and Mechanical) in the Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Central Water Commission, namely :—

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Central Water Commission, Junior Engineer (Civil and Mechanical), Group 'B' Post, Recruitment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix. — The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. — The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification. — No person, —

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax. — Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission and relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving. - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in pay matrix
(1)	(2)	(3)	(4)
Junior Engineer (Civil and Mechanical)	522* (2022) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'B', Non-Ministerial, Non-Gazetted	Level-6 in the pay matrix (Rs. 35400-112400)

Selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
--------------------------------------	-------------------------------	---

(5)	(6)	(7)
Not applicable	Not exceeding thirty Years of age. (Relaxable for the Government servants upto the age of five years in accordance with instructions or orders issued by the Central Government). Note: The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.	Qualification: Bachelor's Degree or Diploma in Civil or Mechanical Engineering from a recognised University or institution. Note: Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.
(8)	(9)
Not applicable.	Two years for direct recruitment. Note: There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for successful completion of probation as prescribed by the Central Government.

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or by deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.
(10)	(11)
100 per cent, by direct recruitment. Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of the Central Government,- (a) (i) holding analogous posts on regular basis; or (ii) with six years regular service in posts in level 5 in the pay matrix (Rs. 29200-92300); and (b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under column(7).	Not applicable

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances under which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :- 1. Chief Engineer Central Water Commission – Chairman 2. Director (Establishment) or Deputy Secretary (Establishment), Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation - Member 3. Secretary, Central Water Commission -Member 4. Director, Central Water Commission – Member.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. A-12018/07/2017-E-I]

A. K. DAS, Under Secy.